न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 03/2016 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2016/00014

अनवान

1. श्री रामलाल पिता सोमा जी मीणा, निवासी गांव गुमानपुरा, डिंगलाई, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
2. श्री नाथूलाल पिता सोमा जी मीणा, निवासी गुमानपुरा, डिंगलाई, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
3. श्री नाना पिता मन्जी मीणा, निवासी गुमानपुरा, डिंगलाई, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
4. श्रीमती केशरी बाई बेवा स्व. मंगला मीणा, निवासी गुमानपुरा, डिंगलाई, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लालजी पिता हेमा मीणा, निवासी गुमानपुरा फला डिंगलाई, ढेलाणा तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
2. श्रीमती गंगा पत्नि लालजी (फोत) के बजाय–
   - 2/1. हीरालाल पिता लालजी, निवासी गुमानपुरा फला डिंगलाई, ढेलाणा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
   - 2/2. श्री शीवराम पिता लाजी, निवासी गुमानपुरा फला डिंगलाई, ढेलाणा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
   - 2/3 श्री हांजालाल पिता लालजी, निवासी गुमानपुरा फला डिंगलाई, ढेलाणा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री मन्नाराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री संजय बोहरा अधिवक्ता, विपक्षीगण।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 03-01-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम गुमानपुरा, तहसील ऋषभेदव, जिला उदयपुर की आराजी संख्या 1722 रकबा 0.2300 हेक्टेयर, किस्म मगरी

भूमि का दिनांक 02.12.2010 को ''प्रशासन गांवो के संग अभियान–2010'' के केम्प ढेलाणा में आवंटन सलाहकार कमेटी द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया एवं उप जिला कलक्टर ऋषभदेव द्वारा आवंटन आदेश जारी किया। उक्त आराजी की भूमि प्रार्थीगण की पुश्तेनी कृषि भूमि से सटमा मिली होकर प्रार्थीगण का विगत 60 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। विपक्षीगण के पुत्र श्री हांजालाल राजस्व विभाग मे पटवारी एवं हीरालाल चिकित्सा विभाग मे कम्पाउण्डर है एवं राजकीय सेवा में होने से भूमिहीन की श्रेणी में नही आते है एवं उन्होने तत्कालीन पटवारी हल्का से मिलकर गलत तरीके से आवेदन भराया एवं उसी दिनांक को पटवारी हल्का से रिपोर्ट करा बिना जांच पडताल अपने प्रभाव का दुरूपयोग कर उक्त भूमि का आवंटन कराया है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 17.01.2011 को कब्जा सुपुदर्गी रिपोर्ट का मौका पर्चा गलत बनाया है। इस तथ्य की पुष्टि दिनांक 12.06.2015 को शिविर प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर द्वारा पटवारी ढेलाणा से जांच रिपोर्ट कराने पर उनके द्वारा दिनांक 27.08.2015 को उक्त आराजी पर नाथूलाल, रामलाल पिता सोमा, केशरी पत्नि मंगलाराम, नाना पिता मनजी मीणा का कब्जा होना बताया है। आवंटन उपरान्त विपक्षीगण का विवादित आराजीयात पर कभी कब्जा नही रहा है। इस प्रकार विपक्षीगण के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षीगण की ओर से श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी संख्या 1 पुलिस से रिटायर्ड व्यक्ति है एवं विपक्षी संख्या 2 नाथूलाल हेड कॉन्सटेबल है तथा प्रार्थी संख्या 4 रिटायर्ड पुलिसमेन की पत्नि है एवं मामले में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार है। उक्त विवादित आराजी संख्या 1722 रकबा 0.2300 हेक्टेयर भूमि का प्रार्थीगण से कोई सम्बन्ध नही है एवं न ही उनकी भूमि विवादित आराजी से सटमा है। उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 02.12.2010 को प्रशासन गांवों के संग अभियान किया गया है। हांजालाल का कथित आराजी से कोई सम्बन्ध नही है। उक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 को पुलिस से रिटायर्ड होने के उपलक्ष्य में किया गया था तथा आवंटन के समय तहसीदार, सरपंच इत्यादि मौके पर उपस्थित थे तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह नही दर्शाया है कि किस आवंटन नियम का मामले में उल्लंघन हुआ है। विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार है तथा उनके पुत्र अलग रहते है। प्रार्थीगण भी रिटायर्ड सरकारीकर्मी होकर पेन्शन मिल रही है। पटवारी हल्का द्वारा बनाया गया मौका कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट दिनांक 17.01.2011 नियमानुसार है। प्रार्थीगण अन्य गांव का निवासी है एवं वे हितबद्ध व्यक्ति न होने से उन्हे यह प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे एवं प्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन बहाल रखा जावे।

प्रकरण में तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गईं। तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा अपने पत्र क्रमांक 775 दिनांक 19.06.2018 से प्रेषित मौका रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व ग्राम गुमानपुरा की वादग्रस्त आराजी संख्या 1722 रकबा 0.2300 हेक्टेयर के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण से पूर्व सूचना दी गयी, किन्तु विपक्षीगण मौके पर उपस्थित नही हुये। विवादग्रस्त भूमि मौके पर पहाडीनूमा होकर कभी काश्त नही की गयी है। मौके पर प्रार्थीगण की वर्षो पुरानी बाड लगी हुयी है। तहसीलदार से मामले की मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव से आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 244/2010 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करने हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौके पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होना, भूमि प्रार्थीगण की भूमि से सटमा होना, प्रार्थीगण का 60 वर्षो से अधिक का कब्जा होना, विपक्षीगण के पुत्र का पटवारी एवं कम्पाउण्डर होना, कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट गलत होना आदि आदि आधारो पर विपक्षीगण को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने की मांग की।

विपक्षीगण के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, प्रार्थी संख्या 1 व 2 का राजकीय सेवा में होना, भूमि का सटमा न होना, प्रार्थीगण का अन्य गांव का निवासी होना, विपक्षीगण के पास धारा 91 के नोटिस उपलब्ध होना, आवंटन कमेटी का पुरा होना, प्रार्थीगण का ट्रेसपासर होना आदि आधारो पर विपक्षीगण को किया गया आवंटन नियमानुसार होने से बहाल रखे जाने हेतु अनुरोध किया। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

- आर.आर.टी. 2006 (2) पृष्ठ 1220
- आर.आर.टी. 2006 (2) पृष्ठ 1171
- आर.आर.टी. 2011 (1) पृष्ठ 270
- आर.आर.टी. 2010 (1) पृष्ठ 157
- आर.बी.जे. 2002 (9) पृष्ठ 139
- आर.आर.डी. 1992 पृष्ठ 266
- आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ 381
- आर.आर.सी. 1998 पृष्ठ 142
- आर.बी.जे. 2009 पृष्ठ 69

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षीगण के जवाब, मौका रिपोर्ट, उपखण्ड़ अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली आदि का

आवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उपखण्ड़ अधिकारी से प्राप्त मूल आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा गुमानपुरा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर की आराजी संख्या 1722 रकबा 0.2300 हेक्टेयर किस्म मगरी के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में करने की राय दी है। पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त भूमि को आवंटन योग्य होना बताया है एवं आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, प्रधान, विधायक के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद है। इसके उपरान्त जरिये आवंटन पत्रावली संख्या 244/2010 विपक्षीगण को विवादित आराजीयात का आवंटन किया गया है। आवंटन के पश्चात विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना, कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट पर पाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का 60 वर्ष पुराना कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। इसके विपरित विपक्षी संख्या 1 के पास धारा 91, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की पेनाल्टी की रसीदे वर्ष 2007, 2008, 2009 एवं 2010 की उपलब्ध हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण को आवंटन से पूर्व विवादित आराजीयात पर उनका कब्जा था। पुश्तैनी कृषि भूमि से विवादित आराजीयात मिली होने मात्र से विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का स्वामित्व नहीं माना जा सकता है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि विपक्षी संख्या 1 के राजकीय सेवा मे रहते हुए विपक्षी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि का आवंटन हुआ हो। चूंकि विपक्षी संख्या 1 व 2 को सद्भावी काश्तकार के रूप मे आवंटन होना स्पष्ट जाहिर है, ऐसी स्थिति मे उनके पुत्र का राजकीय सेवा मे होने का प्रकरण मे कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं। आवंटन मे कोई मिसप्रजेन्टेशन होना जाहिर नहीं होता है। प्रार्थीगण स्वयं ट्रेसपासर है एवं ट्रेसपासर द्वारा प्रस्तुत कब्जे के आधार पर आवंटन निरस्ती प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं माना जा सकता हैं। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर किसी खातेदार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है। रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा होते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा ढैलाणा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर की साबिक आराजी संख्या 1722 रकबा 0.2300 हेक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण नाम पर उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव, जिला उदयपुर द्वारा मिसल नम्बर

244/2010 से किया गया आवंटन दिनांक 02.12.2010 को यथावत रखा जाता है। प्रार्थीगण यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.01.08 12:46:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: